**Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Ishar Singh, Prop. M/s Maa Pitambra Stone Crusher, VPO Palakwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 96,400 TPA from Khasra Nos. 382/5 falling in Mauza/Mohal Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 04-70-61 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 25/02/2026 at 11:30 AM at near adjoining Open Ground Gram Panchayat Palkwah, Tehsil Haroli Distt. Una (HP)**

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Ishar Singh, Prop. M/s Maa Pitambra Stone Crusher, VPO Palakwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 96,400 TPA from Khasra Nos. 382/5 falling in Mauza/Mohal Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 04-70-61 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 25/02/2026 at 11:30 AM at near adjoining Open Ground Gram Panchayat Palkwah, Tehsil Haroli Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, Mining Officer Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annexure-1.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Chandigarh Pollution Testing Laboratory-EIA Division, E—126, Phase-VIII, Ind. Area Mohali, Punjab to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

| S. No. | Name and Address | Issues raised/Suggestions submitted | Reply of Issues raised/ Suggestions submitted |
|---|---|---|---|
| 1. | Sh. Balwant Singh, Village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He said that the proposed project falls in Moza Thakran, and therefore, the venue of the public hearing should have been in Thakran village instead of the Panchayat Bhavan in Palkwah, so that the maximum number of people from Thakran village could have participated. He asked if it would be possible to conduct a second public hearing of this project in Thakran | The Consultant of the project proponent replied that the venue site suitability is decided by the Pollution Control Board and local administration preferably at the site and nearby depending on various weather/ climate conditions, such as flooding, rain, accessibility, approach road and |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | village.<br><br>He also stated that continuous mining activities in this region are destabilizing the local geology, as the village is situated on top of a small hill, the base of which is being continuously excavated due to mining. These activities are causing harm to local residents, wildlife, and the forest. The air quality is deteriorating day by day due to such activities, adversely affecting the health of the local population. The area has also become prone to road accidents because of the heavy vehicle movement related to the project.<br><br>He further argued that if the aim of such a project is to improve the financial well-being of the local community, there are many other non-polluting industrial activities, such as plantation and horticulture, which can serve both purposes—providing employment while maintaining a clean environment.<br><br>He, along with other local residents, opposes this project. He also submitted a written representation to the worthy Chairman of this public hearing. | suitable for public gathering. |
| 2. | Sh. Ranjeet Singh, Village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He said that his house and farmland is only 200 meters away from the project site, and the project will adversely affect the crops on his land. He also alleged that the mining rights have been wrongfully allotted to the project proponent, as the land is actually Shamlat Deh land. He further stated that the project falls within a cluster area. | The consultant of the project proponent replied that the mining lease is less than 5 hectares and generally falls under the B2 category, which is exempt from conducting a public hearing. He further explained that it is only because of the formation of a cluster—since there is another mining/crusher activity within 500 meters of this project—that it falls under the B1 category, and therefore, a public hearing is required to be conducted. |
| 3. | Sh. Amir Chand, Village Palkwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He said that tractors used for the transportation of mining material should travel only on the pre-identified routes. Often, they move randomly through the open private land of local residents. | |
| 4. | Sh. Ravinder Kumar, Village Palkwah, Tehsil | He asked how many local residents would be employed through this project and how many would actually benefit from it. | The consultant of the project proponent replied that the project requires about 90 people for direct |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Haroli, Distt. Una (HP) | | employment, and most of them will be hired from the local population. In addition, local tractors and trolleys will be hired for the transportation of materials. The project will also generate indirect employment opportunities for locals, such as Tea stalls, Dhabas, and vehicle repair and maintenance shops, among others. |
| 5. | Sh. Bayant Singh, Local resident, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He asked whether the environmental rules, regulations, and provisions stated by the consultant apply only to this project or to all projects in the area in general. He pointed out that other mining and crusher projects operating in this region are not following these rules and are causing noise pollution, air pollution, overloading of vehicles, and unauthorized use of local village roads for raw material transportation.<br><br>He further stated that the village is located near the project site and is already suffering from the impact of existing crusher units in the area. Wildlife, due to the destruction of their natural habitats, is being forced into farm lands and destroying crops. Our village is situated on a small hilltop, and all around this hill, mining and crushing activities are weakening the base of the hill. All local residents will submit written complaints and objections regarding this project.<br><br>He also mentioned that although 90 percent local employment has been assured in the proposed project, there is doubt about whether this level of employment has been implemented in existing projects in the area. | The consultant of the project proponent replied that these rules and EIA guidelines are generally applicable to all such projects to safeguard the environment. He stated that transport vehicles will operate in a staggered manner, and movement during peak hours will be avoided. The project will use 1.3 km of its private kacha road for access to the mining area, and any public roads used for transportation will be properly maintained by the project proponent. Water sprinkling will be implemented for dust suppression, and there will be no overloading of vehicles.<br><br>He also mentioned that mining activities will be carried out in accordance with rules and regulations, without harming the natural habitat of wild animals.<br><br>Regarding local employment, he said that the provision of 90% employment for local residents exists, and the Labor Department, Government of Himachal Pradesh, will ensure its implementation.<br><br>The worthy Chairman also stated that if there is any violation of rules regarding local employment in a particular crusher unit, residents may submit a written complaint to the mining officer, and officials from the department will inspect the unit. |
| 6. | Sh. Balbir Singh, Village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He said that all the residents of village Thakran have come to lodge a protest against this project. They are submitting a written complaint and representation signed by all the residents of the village. He also asked if it would be possible to conduct a second public hearing in village | The worthy Chairman assured that your concerns regarding the project have been noted, and the written complaint has been taken on record. He stated that anyone may submit any type of representation regarding the project personally to his office even |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Thakran regarding this project so that more people from the village can participate and express their protest. | after the completion of today's public hearing. All concerns and representations will be forwarded as submitted to the higher authorities, in accordance with the procedure of the public hearing. |
| 7. | Sh. Dhruv Singh, Village Palkwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He stated that construction raw materials are required for building houses and other development projects. Therefore, we support this project, provided that the concerns of local residents regarding pollution and local employment are properly addressed. He also mentioned that the project proponent should assist in providing construction materials for the development of temples, Shamshan Ghats, and other community projects. | The consultant of the project proponent replied that they will provide assistance in all possible ways. |
| 8. | Sh. Amreek Singh, Village Palkwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He stated that while everyone desires pucca houses and pucca roads, opposing crushing activity seems contradictory. He emphasized that issues such as pollution control, local employment, and availability of construction material raised by the locals must be addressed, and he expressed his support for the project, provided these concerns are met. He also stressed that there should be no harm or damage of any kind to the local people. | |
| 9. | Sh. Joginder Laal, Village Palakwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He stated that there are very few projects established in rural areas. Every project has its pros and cons. If a project is implemented according to government norms and the concerns related to it are addressed, then there is no harm in establishing such projects. These projects provide benefits and employment to the local population, but at the same time, the concerns of those opposing the project must also be addressed. The problems of local people should be addressed by the project proponent. | |
| 10 | Sh. Sumit Sharma, Village Palkwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He stated that if the project proponent carries out mining and crusher activities in accordance with government guidelines, then we have no objection. However, if the rules and regulations are not followed, then we object to the project. | |
| 11. | Sh. Balwant Singh, Village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) | He stated that the local residents and ward members of the Panchayat had objected to the project in its initial phase when it was presented before the Panchayat. He questioned how the Panchayat NOC was | The Panchayat Pradhan of that time informed the public that the project had been presented before the Gram Panchayat in the Gram Sabha and discussed. Many people initially raised |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | issued for this project, as the residents were kept in the dark about the issuance of the Panchayat NOC. | objections, and the Panchayat NOC was issued only after the grievances were heard and addressed at the concerned B.D.O. level. |

The details of the complaint/objection letters received during the proceedings of the public hearing are as follows:

1. Residents of Ward No.9, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Representation regarding objections in the public hearing related to Maa Pitambara Stone Crusher. Copy of letter also have signatures of villagers, attached as **Annexure-2.**
2. Residents of village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-3.**
3. Sh. Rajender Singh, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-4.**
4. Sh. Makhan Singh, S/o Vishan Singh, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-5.**
5. Sh. Darshan Singh, S/o Meet Singh, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-6.**
6. Sh. Ranjeet Singh, S/o Hukam Singh, Ward No.9, village, Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-7.**
7. Sh. Inderjeet Singh, S/o Surinder Singh, Ward No.9, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-8.**
8. Sh. Sarvjot Singh, S/o Sanjeev Singh, Ward No.9, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-9.**
9. Sh. Balvir Singh, S/o Daulat Ram, Ward No.9, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-10.**
10. Sh. Baljeet Singh, S/o Piara Singh, Ward No.9, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-11.**
11. Sh. Balwinder Singh, S/o Jeet Singh, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-12.**
12. Sh. Surjeet Singh, S/o Satnam Singh, village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-13.**
13. Sh. Kulwinder Singh s/o Amrik Singh, Ward No.9, Village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Representation received through e-mail and copy is attached as **Annexure-14.**
14. Sh. Mohit Aujla,Village Thakran, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Representation received through e-mail and copy is attached as **Annexure-15.**

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

**Mahendra Pal Gurjar**
**Additional Deputy Commissioner**
**Una, Distt. Una (HP)**

**श्री इशर सिंह, प्रो. मेसर्स मां पीतांबरा स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर पालकवाह, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र), के द्वारा खसरा संख्या 382/5, मौजा व मोहाल ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), कुल खनन क्षेत्र 04-70-61 हेक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 96,400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण।**

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 25.02.2026 को सुबह 11:30 बजे, श्री इशर सिंह, प्रो. मेसर्स मां पीतांबरा स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), के द्वारा खसरा संख्या 382/5, मौजा व मोहाल ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), कुल खनन क्षेत्र 04-70-61 हेक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन कुल मात्रा 96,400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर खुला मैदान, नजदीक पंचायत घर ग्राम पंचायत पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या S.O. 1533 (E) दिनांक 14/09/2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **अनुबंध-1 (Annexure-1)** के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होंने पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध में जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जनसुनवाई की कार्यवाही आरम्भ की गई।

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मेसर्स चंडीगढ़ पोल्लुशन टेस्टिंग लेबोरेटरी– ई.आई.ए विभाग, ई-126, फेज-VIII, औद्योगिक क्षेत्र मोहाली, पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त, प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के विवरण की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव, विचार, टिप्पणियाँ एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के व्यक्त करने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए प्रश्नों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्रमांक | नाम व पता | मामले / सुझाव | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री बलवंत सिंह, ग्राम ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | इन्होने कहा कि प्रस्तावित परियोजना मौजा ठाकरां में स्थित है, इसलिए जनसुनवाई का आयोजन पंचायत भवन पालकवाह के स्थान पर ठाकरां गांव में किया जाना चाहिए था, ताकि ठाकरां गांव के अधिकतम लोग इसमें भाग ले सकें। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि क्या इस परियोजना के लिए ठाकरां गांव में दूसरी जनसुनवाई आयोजित की जा सकती है।<br><br>उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में लगातार हो रही खनन गतिविधियाँ यहाँ की भू-वैज्ञानिक स्थिति को अस्थिर कर रही हैं। यह गांव एक छोटे पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर स्थित है, जिसके आधार भाग को लगातार खनन के कारण खोदा जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियाँ स्थानीय लोगों, वन्यजीवों तथा आसपास के जंगलों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हैं। खनन के कारण वायु गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।<br><br>इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त भारी वाहनों के कारण इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि ऐसी परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को आर्थिक रूप से बेहतर बनाना है, तो इसके लिए कई अन्य गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियाँ जैसे वृक्षारोपण और बागवानी को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ स्वच्छता और स्वस्थ | परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने उत्तर दिया कि सार्वजनिक सुनवाई के लिए स्थल की उपयुक्तता का निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। सामान्यतः स्थल का चयन परियोजना स्थल या उसके आसपास किया जाता है, जो विभिन्न मौसम एवं जलवायु परिस्थितियों जैसे बाढ़, वर्षा, पहुँच की सुविधा, संपर्क मार्ग तथा जनसभा के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पर्यावरण बनाए रखने में भी सहायक होंगी।<br><br>अतः मैं तथा अन्य स्थानीय निवासी इस परियोजना का विरोध करते हैं। उन्होंने इस संबंध में अपनी लिखित आपत्ति भी जनसुनवाई के अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की। | |
| 2. | श्री रणजीत सिंह, ग्राम ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि मेरा घर व कृषि भूमि इस परियोजना स्थल से केवल 200 मीटर की दूरी पर है और इससे मेरी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खनन पट्टा लीज भूमि वास्तव में शामलात देह भूमि है अतः इसपर खनन नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह परियोजना क्लस्टर क्षेत्र में आती है। उन्होंने इस संबंध में अपनी लिखित आपत्ति भी जनसुनवाई के अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की। | परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने उत्तर दिया कि खनन नियमानुसार किया जायेगा। वायु प्रदुषण रोकथाम हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा। खनन पट्टा 5 हेक्टेयर से कम है और सामान्यतः यह B2 श्रेणी में आता है, जिसके लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योकि इस परियोजना के 500 मीटर के दायरे में एक और खनन/क्रशर गतिविधि मौजूद है, यह B1 श्रेणी में आता है जिस कारण क्लस्टर का निर्माण हुआ है और इसलिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना आवश्यक है। |
| 3. | श्री अमीर चंद, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि खनन सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर को केवल पूर्वनिर्धारित मार्ग से ही चलाना चाहिए। अक्सर ये ट्रैक्टर स्थानीय निवासियों की खुली निजी जमीन से मनमाने तरीके से गुजर जाते हैं। | |
| 4. | श्री रविन्द्र कुमार, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने पूछा कि इस परियोजना के माध्यम से कितने स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा और कितनों को लाभ प्राप्त होगा। | परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने उत्तर दिया कि इस परियोजना में लगभग 90 लोगों की प्रत्यक्ष आवश्यकता होगी और इनमें से अधिकांश स्थानीय लोगों में से ही नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा, सामग्री के परिवहन के लिए स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रॉली का भी उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | करेगी, जैसे कि चाय की दुकान, ढाबा, वाहन मरम्मत और रखरखाव की दुकाने आदि। |
| 5. | श्री बयंत सिंह – स्थानीय निवासी, तहसील हरोली, जिला ऊना ।(.प्र.हि) | उन्होंने पूछा कि क्या परियोजना सलाहकार द्वारा बताए गए पर्यावरण नियम और प्रावधान केवल इस परियोजना पर लागू होते हैं या इस क्षेत्र में सभी परियोजनाओं के लिए सामान्य रूप से लागू हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में चल रहे अन्य खनन और क्रशर परियोजनाएँ इन नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और इससे शोर, वायु प्रदूषण और स्थानीय गाँव की सड़कों का परिवहन के लिए गलत तरीके से उपयोग हो रहा है।<br><br>उन्होंने यह भी कहा कि हम परियोजना स्थल के पास रहते हैं और क्षेत्र में पहले से स्थापित क्रशर इकाइयों के कारण पहले से ही परेशान हैं। उनके कार्यों के कारण वन्यजीव हमारे खेतों में आकर फसल को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है। हमारा गाँव एक छोटे पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इस छोटे पहाड़ी के चारों ओर खनन और क्रशिंग गतिविधियाँ हो रही हैं, जिससे पहाड़ी की आधारभूत संरचना कमजोर हो रही है। हम सभी स्थानीय निवासी इस परियोजना के विरुद्ध लिखित शिकायत और आपत्ति प्रस्तुत करेंगे।<br><br>उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को 90 प्रतिशत रोजगार देने की बात सुनिश्चित की गई है, लेकिन हमें संदेह है कि क्या यह प्रतिशत इस क्षेत्र में पहले से चल रही परियोजनाओं में लागू किया गया है। | परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने उत्तर दिया कि ये नियम और EIA दिशानिर्देश सामान्यतः सभी ऐसी परियोजनाओं पर लागू होते हैं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परिवहन वाहन चरणबद्ध (staggered) तरीके. से चलेंगे और शिखर समय (peak hours) में आवागमन से बचा जाएगा। इस परियोजना के लिए खनन क्षेत्र तक पहुँच के लिए 1.3 किलोमीटर निजी कच्ची सड़क का उपयोग किया जाएगा और इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक सड़क का उपयोग परिवहन के लिए किया गया तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उसका भी रखरखाव किया जाएगा। धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा और कोई ओवरलोडिंग नहीं होगी।<br><br>उन्होंने यह भी कहा कि खनन गतिविधि नियम अनुसार की जाएगी और इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।<br><br>स्थानीय निवासियों को 90% रोजगार देने का प्रावधान है और श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार इसे सुनिश्चित करता है।<br><br>इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि यदि किसी विशेष क्रशर यूनिट में स्थानीय रोजगार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप लिखित शिकायत खनन अधिकारी को दे सकते हैं और विभाग के अधिकारी उस विशेष यूनिट का निरीक्षण करेंगे। |
| 6. | श्री बलबीर सिंह, ग्राम ठाकरान, | इन्होने कहा की हम सभी ग्राम ठाकरां के निवासी इस परियोजना के विरुद्ध यहां विरोध दर्ज कराने आए हैं। हम ग्राम ठाकरां | माननीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इस परियोजना से संबंधित आपके विरोध व विचारों को दर्ज कर लिया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | के सभी निवासियों के हस्ताक्षरित लिखित शिकायत पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस परियोजना के संबंध में ग्राम ठाकरां में दूसरी सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना संभव है, ताकि अधिक ग्रामीण लोग विरोध करने और भाग लेने के लिए आ सकें। | गया है और आपकी लिखित शिकायत को रिकॉर्ड पर भी ले लिया गया है। कोई भी व्यक्ति इस परियोजना के संबंध में किसी भी प्रकार का विचार पत्र द्वारा आज की सार्वजनिक सुनवाई के समाप्त होने के बाद भी मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है। आपके द्वारा दिए गए सुझाव, विचार, टिप्पणियों को सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार उच्च प्राधिकारी तक यथावत् भेजा जाएगा। |
| 7. | श्री ध्रुव सिंह, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री मकानों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। इसलिए हम इस परियोजना का समर्थन करते हैं, परन्तु साथ ही स्थानीय निवासियों की प्रदूषण और रोजगार संबंधी चिंताओं का भी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना प्रस्तावक को मंदिरों, शवदाह घाट और अन्य सामुदायिक विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। | परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने उत्तर दिया कि वे सभी संभव साधनों से मदद प्रदान करेंगे। |
| 8. | श्री अमरीक सिंह, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि हम सभी पक्के घर और पक्के सड़क चाहते हैं परन्तु साथ ही क्रशिंग गतिविधि का विरोध भी करते हैं, जो कि थोड़ी विरोधाभासी स्थिति है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे प्रदूषण नियंत्रण, स्थानीय रोजगार और निर्माण सामग्री की उपलब्धता का समाधान किया जाना चाहिए और साथ ही इस परियोजना का भी समर्थन करता हूँ। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। | |
| 9. | श्री जोगिन्दर लाल – ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बहुत कम परियोजनाएँ स्थापित होती हैं। हर परियोजना के हमेशा फायदे और नुकसान होते हैं। यदि परियोजना सरकारी मानकों के अनुसार संचालित हो और परियोजना से संबंधित नुकसान या आपत्तियों का समाधान किया जाए, तो ऐसी परियोजना स्थापित करने में कोई हानि नहीं है। ये परियोजनाएँ स्थानीय लोगों को लाभ और रोजगार प्रदान करती | |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | हैं, लेकिन साथ ही इस परियोजना का विरोध करने वाले अन्य लोगों की चिंताओं का समाधान भी किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाना चाहिए। | |
| 10 | श्री सुमित शर्मा, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि यदि परियोजना प्रस्तावक खनन और क्रशर गतिविधि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें आपत्ति है। | |
| 11 | श्री बलवंत सिंह, ग्राम ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र) | उन्होंने कहा कि हम स्थानीय निवासी तथा पंचायत के वार्ड सदस्य इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में ही पंचायत स्तर पर इसका विरोध कर चुके थे। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि इस परियोजना के लिए पंचायत की एनओसी (NOC) कैसे जारी कर दी गई।<br><br>उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत द्वारा इस परियोजना को एनओसी जारी किए जाने के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यह एनओसी स्थानीय निवासियों और पंचायत सदस्यों की सहमति के बिना जारी की गई प्रतीत होती है, जो कि पूर्णतः अनुचित एवं गलत है। | तात्कालिक पंचायत प्रधान ने जवाव दिया कि यह परियोजना ग्राम पंचायत के समक्ष ग्राम सभा में प्रस्तुत की गई और उस पर चर्चा की गई। प्रारंभ में कई लोगों ने आपत्ति जताई थी, तथा पंचायत एनओसी संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO ) स्तर पर शिकायतों के निस्तारण और सुनवाई के बाद जारी की गई थी। |

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

जनसुनवाई की कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुए शिकायत / आपत्ति पत्रों का विवरण निम्नलिखित हैं:

1. ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) के निवासियों द्वारा – माँ पिताम्बरा स्टोन क्रशर से संबंधित सार्वजनिक सुनवाई में आपत्तियों के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्र की प्रति, जिस पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं, अनुबंध-2 (Annexure-2) के रूप में संलग्न है।
2. ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) के निवासियों द्वारा- पत्र की प्रति अनुबंध-3 (Annexure-3) के रूप में संलग्न है।
3. श्री राजेन्द्र सिंह, गाँव ठकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) के द्वारा- पत्र की प्रति अनुबंध-4 (Annexure-4) के रूप में संलग्न है।
4. श्री माखन सिंह, पुत्र श्री विशन सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-5 (Annexure-5) के रूप में संलग्न है।
5. श्री दर्शन सिंह, पुत्र श्री मीत सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-6 (Annexure-6) के रूप में संलग्न है।

6. श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री हुकम सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-7 (Annexure-7) के रूप में संलग्न है।
7. श्री इन्द्रजीत सिंह, पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-8 (Annexure-8) के रूप में संलग्न है।
8. श्री सर्वजोत सिंह, पुत्र श्री संजीव सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-9 (Annexure-9) के रूप में संलग्न है।
9. श्री बलवीर सिंह, पुत्र श्री दौलत राम, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-10 (Annexure-10) के रूप में संलग्न है।
10. श्री बलजीत सिंह, पुत्र श्री प्यारा सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-11 (Annexure-11) के रूप में संलग्न है।
11. श्री बलविंदर सिंह, पुत्र श्री जीत सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-12 (Annexure-12) के रूप में संलग्न है।
12. श्री सरजीत सिंह, पुत्र श्री सतनाम सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-13 (Annexure-13) के रूप में संलग्न है।
13. श्री कुलविंदर सिंह, पुत्र श्री अमरीक सिंह, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-14 (Annexure-14) के रूप में संलग्न है।
14. श्री मोहित औजला, ग्राम ठाकरां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति अनुबंध-15 (Annexure-15) के रूप में संलग्न है।

अंत में श्री प्रवीन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया।

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

महेंद्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)